न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी

107 द०प्र०स०

आदेश पत्रक

P

1

M-19/2017

प्रथम पक्ष :- फागु लोहार वगै०

बनाम

द्वितीय पक्ष:- सुनील बिरसा लोहार वगै०

16/2/17

अभिलेख संख्या - एम. 19...../2017 धारा - 107 द.प्र.सं.

थाना प्रभारी कर्रा......... के अप्राथमिकी संख्या - 2/17

60
16/2/17

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि :-

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द.प्र.सं. की धारा 107 कि अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हे एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को एक हजार रूपये का बंध-पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख दिनांक :- 2/3/17 को उपस्थापित करें।

16/2/2017

अनुमंडल दण्डाधिकारी
खूँटी

4

11/12 प्रथमपक्षों के लिये सक्षम उप० विपक्षी के अधिवक्ता उपस्थित। समझौता समाप्त हो जाने के कारण वाद की कार्यवाही बंद की जाती है।

ह० 11/12